बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (जहानाबाद) 02–46/2025–........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..............................

समाहर्त्ता, जहानाबाद के पत्रांक–425, दिनांक–17.05.2025 द्वारा **श्रीमती नुजहत, अंचल अधिकारी, रतनी फरीदपुर, जहानाबाद** के विरूद्ध चिकित्सीय ईलाज हेतु अवकाश की स्वीकृति एवं उपभोग के पश्चात् योगदान नहीं करने, अवकाश अवधि का प्रभार प्रतिस्थानी अंचल अधिकारी को नहीं सौंपने, अवकाश अवधि के दरम्यान विशेष परिस्थितियों में संपर्क करने हेतु बिना संपर्क संख्या उपलब्ध कराये एवं अंचल का विधिवत् प्रभार दिये बिना अवकाश में प्रस्थान करने, अवकाश अवधि दिनांक–10.05.2025 समाप्त होने के बावजूद दिनांक 16.05.2025 तक जिला कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं करने के कारण अंचल के दैनिक कार्यों / राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, अवकाश अवधि में डोंगल का उपयोग कर दाखिल–खारिज कार्यों का निष्पादन करने, अनधिकृत उपस्थिति के बिन्दु पर याचित स्पष्टीकरण का निर्धारित अवधि तक अनुपालन नहीं किये जाने, मौजा–कनसुला, थाना सं0–42 के डिमांड सं0–615 में बिना किसी सक्षम प्राधिकार के पूर्व में इन्द्राज खाता के अतिरिक्त खाता सं0–126 एवं 128 खाता को इन्द्राज करने एवं डिमांड पंजी में छेडछाड़ करने संबंधी मामले का याचित मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने, परिमार्जन प्लस ऐप पर माह–जुलाई, 2024 में परिमार्जन संबंधी कोई भी मामला निष्पादन नहीं किये जाने के बिन्दु पर किये गये स्पष्टीकरण का जबाव उपलब्ध नहीं कराने, दाखिल–खारिज वादो से संबंधित मामला 75 दिनों से अधिक अवधि तक लंबित रहने के कारण किये गये स्पष्टीकरण का जबाव उपलब्ध नहीं कराने, रतनी–फरीदपुर, मौजा–केन्दुई अंतर्गत जमाबंदी सं0–223/2 का अवैध कायम संबंधी मामलें प्रकाश में आने के कारण याचित स्पष्टीकरण का जबाव वर्त्तमान अवधि तक उपलब्ध नहीं कराना, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जहानाबाद के समक्ष दायर अनन्य सं0–533110106092406382 लोक प्राधिकार के रूप में अलग–अलग प्रतिवेदन समर्पित कर कार्यालय को दिग्भ्रमित करने एवं दिनांक–17.04.2025 को जिला स्तरीय राजस्व, समन्वय समिति की समीक्षातमक बैठक में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बिन्दु पर पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–109(15), दिनांक–03.02.2026 द्वारा श्रीमती नुजहत से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती नुजहत के कार्यालय अंचल अधिकारी, रतनी–फरीदपुर, जहानाबाद के पत्रांक–286 दिनांक–14.02.2026 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में गठित आरोपों एवं श्रीमती नुजहत से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि "श्रीमती नुजहत के विरूद्ध लगाये गये आरोप मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक विलम्ब और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति से संबंधित हैं। आरोपी पदाधिकारी द्वारा चिकित्सीय ईलाज हेतु अवकाश उपभोग का हवाला दिया गया है परंतु न तो चिकित्सा से संबंधित किसी बीमारी का जिक्र किया गया है और न ही किसी प्रकार चिकित्सीय प्रमाण पत्र अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही अवकाश अवधि में अपने प्रतिस्थानी को प्रभार नहीं सौपा जाना उच्चाधिकारी के आदेश अवज्ञा किया जाना है। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि उनके द्वारा न केवल समय पर

पत्राचार किया गया बल्कि दोषी कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है, साथ ही अंचल की रैंकिंग में अपेक्षित सुधार भी किया गया है तथापि अवकाश अवधि में आरोपी पदाधिकारी द्वारा लंबित मामलों का निस्तारण किया जाना नियमानुकूल नहीं है, जो प्रथम द्रष्टया उनकी संदिग्ध मंशा को परिलक्षित करता है। इसका अभिप्राय यह है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अवकाश अवधि में अपने डोंगल का इस्तेमाल कर निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त चूक की गई है। उक्त तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती नुजहत, अंचल अधिकारी, रतनी फरीदपुर, जहानाबाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (जहानाबाद) 02–46/2025–.........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.................................

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, जहानाबाद/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जहानाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्रीमती नुजहत, अंचल अधिकारी, रतनी फरीदपुर, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (जहानाबाद) 02–46/2025–.....520....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–13/04/2026

प्रतिलिपि :– माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्रीमती नुजहत** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

13/4/26

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Nujhat (CO_ratni_faridpur)_संचयी प्रभाव के बिना 1.doc